न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2018/00030(164) **दायरा दिनांक : 08.10.2018**

उनवान

रामदयाल आत्मज बृजमोहन जी, जाति बैरागी, निवासी ग्राम शोखन्दा पुजारी मन्दिर ठाकुर जी महाराज विराजमान ग्राम शौखन्दा, तहसील मांगरोल, जिला बारां
.... अपीलांट

बनाम

1. मन्दिर ठाकुर जी महाराज विराजमान ग्राम शौखन्दा, तहसील मांगरोल, जिला बारां जर्ये तथाकथित पुजारी
   1/1. धनराज आत्मज देवदास
   1/2. रघुवीर आत्मज देवदास
   जाति बैरागी, निवासीगण ग्राम शोखन्दा, तहसील मांगरोल, जिला बारां
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, मांगरोल
.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री एन. के. गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री जगदीश नन्दवाना अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1/1 व 1/2 की ओर से

दिनांक : 10.02.2025

निर्णय

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या– 12/2017 निर्णय दिनांक 04.01.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि मन्दिर ठाकुर जी महाराज विराजमान ग्राम सोकन्दा तहसील मांगरोल, जिला बारां के खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 324 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 266 रकबा 1.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 268 रकबा 1.95 हेक्टर कुल किता 3 रकबा 3.03 हेक्टर आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल ने अपने निर्णय दिनांक 04.01.2018 से काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र अप्रार्थी कम 1 खारिज किया जाता है व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थीगण स्वीकार किया, जिसकी अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में अपील संख्या 14/2018 आदेश दिनांक 10.04.2018 से अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.01.2018 अपास्त किया एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि पैरा संख्या 8 में किये गये विवेचन के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अनुसार तहसील से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त करें कि मूर्ति मंदिर की सेवा पूजा किस पक्ष के द्वारा की जा रही है। तदनुसार नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। जिसकी निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी/टी0ए0/2900/2018/बारां होने पर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 21.08.2018 से प्रार्थी की निगरानी स्वीकार करते हुए न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2018 निरस्त कर प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे पुनः दोनों पक्षों को सुनकर पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर उचित निर्णय पारित करें, उभयपक्षकारान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में दिनांक 31.08.2018 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया जिस पर न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने पुनः अपील दर्ज कर प्रकरण की सुनवायी की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट का काउण्टर क्लेम खारिज कर रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 स्वीकार कर लिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नहीं दिया कि मन्दिर श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान ग्राम शौखन्दा की आराजी ग्राम शौखन्दा में हाल खसरा नम्बर 243 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 266 रकबा 1.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 268 रकबा 1.95 हेक्टर कुल 3 किता की 3.03 हेक्टर आराजी स्थित है। उक्त मन्दिर के एक मात्र पुजारी औकारदास जी थे जिनके पुत्र देवदास व बृजमोहनदास है। बृजमोहन दास जी के अपीलान्ट व नन्दकिशोर पुत्र है। औकार दास जी के स्वर्गवास के बाद राजस्व रिकोर्ड में पुजारी की हैसियत से व मौके पर काबिज काश्त के आधार पर अपीलान्ट के पिता बृजमोहन जी का नाम भू राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया गया, बाद में उनके स्वर्गवास के बाद अपीलान्ट व अपीलान्ट का भाई नन्दकिशोर मन्दिर मूर्ति की सेवा करने लगे अपीलान्ट का भाई रोजगार हेतु बारां निवास करने से अपीलान्ट ही मन्दिर मूर्ति व मन्दिर मूर्ति की सम्पत्ति का उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। किन्तु फिर भी बिना किसी साक्ष्य व तथ्य के आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा होना मानकर अपीलान्ट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट ही मन्दिर मूर्ति की सेवा व व्यवस्था करता चला आ रहा है। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा ग्राम वासियान व ग्राम पंचायत महुआ के प्रमाण पत्र का अवलोकन किये बिना ही अपीलान्ट का काउन्टर क्लेम खारिज कर रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जो कि सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेन्ट का मन्दिर मूर्ति व मन्दिर मूर्ति की आराजी से कभी कोई संबंध नहीं रहा तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा आराजी पर व मूर्ति मन्दिर से किसी प्रकार का संबंध रहा हो, इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं होने के उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आदेश प्रदान कर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवं अवैधानिक है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे व अपीलान्ट का काउण्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पोडेन्टगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आदेश दिनांक 10.04.2018 के विरूद्ध प्रतिवादी अपीलांट ने यह अपील की है। हमारा काउंटर क्लेम अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया तथा वादी का वाद स्वीकार किया। हमने आदेश दिनांक 04.01.2018 के विरूद्ध अपील पेश की। अपीलांट व रेस्पोडेंट दोनों पुजारी हैं। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, के आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेंट वादी ने रेवेन्यु बोर्ड में रिवीजन पेश की। दिनांक 21.08.2018 को रेवेन्यु बोर्ड ने निर्णय पारित किया जिसमें प्रकरण रिमाण्ड किया गया। सम्वत 2007 से 2010 में हमारे पिता का नाम दर्ज है। मंदिर की पूजा हमारे द्वारा की जा रही है। हमने तहरीर व ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। रेवेन्यु बोर्ड के दिशा निर्देश से पत्रावली रिमाण्ड हुई है। अतः न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना है। अतः अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में 2022 (1) डी.एन.जे.(रेवेन्यु) पेज 459 की नजीर उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि काउंटर क्लेम व दावे की एक ही अपील प्रस्तुत की है जबकि दो अपीले होनी चाहिए। अतः अपील खारिज योग्य है। मंदिर की भूमि होने का विवाद नहीं है, विवाद पुजारी होने का है। अतः पुजारी कौन है यह राजस्व न्यायालय निर्णित नहीं करेगा, सिविल न्यायालय में इसका निर्णय होना है। अतः अपील खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में 1983 आर.आर.डी पेज 197, 1978 आर.आर.डी. पेज 190, आर.आर.टी.2019 (2) पेज 896 की नजीरे उद्धरत की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट ने अपीलांट के खिलाफ एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर साथ में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.01.2018 से स्वीकार कर काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र अप्रार्थी कम 1 खारिज करते हुए अप्रार्थी कम 1 को पाबन्द किया कि ग्राम सोकन्दा, तहसील मांगरोल की विवादित आराजी कुल किता 3 रकबा 3.03 हेक्टर आराजी में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करें, न ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक तरीके से काश्त करने देवे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर अप्रार्थी कम 1 ने न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष अपील संख्या 14/2018 प्रस्तुत करने पर अपीलीय न्यायालय ने बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 10.04.2018 से अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.01.2018 अपास्त करते हुए पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को पैरा संख्या 8 में किये गये विवेचन के अनुसार तहसील से मूर्ति मंदिर की सेवा पूजा किस पक्ष के द्वारा की जा रही है इस संदर्भ में रिपोर्ट प्राप्त कर तदनुसार नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की गयी। वादी प्रार्थी धनराज व रघुवीर आत्मज देवदास द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में निगरानी प्रस्तुत करने पर माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 21.08.2018 से वादी प्रार्थी की निगरानी स्वीकार कर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2018 को निरस्त कर प्रकरण को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि पुनः दोनों पक्षों को सुनकर पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर उचित निर्णय पारित करें।

माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.08.2018 की पालना में पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड कर पुनः उभयपक्ष की सुनवाई पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04.01.2018 से अप्रार्थी के काउन्टर क्लेम को खारिज हुए प्रार्थी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में विवादित भूमि पर वादी प्रार्थी का कब्जा होना माना है। माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निर्णित करते समय प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति को देखा जाना है। साथ ही यह भी अंकित किया है कि विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में तीनों बिन्दुओं का विवेचन करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। राजस्व न्यायालय को अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निर्णित करते समय यही देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया केस किसके पक्ष में है और किस पक्ष का कब्जा काश्त विवादित आराजीयात पर है। यह तो निर्विवाद है कि विवादित आराजीयात ठाकुर जी महाराज के नाम है प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों में विवाद पूजा अर्चना को लेकर है। पुजारी कौन होगा यह तय करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। यह तय करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। प्रार्थना पत्र पर प्रथम अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषण की शक्तियॉं प्राप्त नहीं है। मामला मेरिट्स पर निर्णित करना चाहिए जब सारा रिकॉर्ड उपलब्ध है तो दोनों पक्षों की सुनवाई करके ही उचित निर्णय पारित किया जाना चाहिए।

माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के उक्त विवेचन के क्रम में दोनों पक्षों की सुनवाई करने और पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कि वर्तमान में विवादित आराजी ठाकुर जी महाराज के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली में सलंग्न फोटो प्रति नकल जमाबंदी सम्वत 2007–2010 के अनुसार विवादित भूमि मंदिर के साथ बृजमोहन पुत्र औंकारदास का नाम दर्ज है और फोटो प्रति नकल जमाबंदी सम्वत 2011–2014 में नामान्तरकरण संख्या 306 से बृजमोहन के स्थान पर नन्दकिशोर, रामदयाल का दाखिल खारिज मन्जूर होना अंकित है, परन्तु इसके बाद की भू प्रबन्ध विभाग की जमाबंदी सम्वत 2044–2063 की फोटो प्रति के अनुसार वादग्रस्त आराजी मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान खातेदार पुजारी देवदास बेटा औंकार दर्ज है। इसी प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटो प्रति प्रमाण पत्र दिनांक 11.04.2017 जो कार्यालय ग्राम पंचायत महुआ, पंचायत समिति अन्ता, जिला बारां द्वारा जारी किया गया है, के अनुसार प्रार्थी द्वारा वर्तमान में पुजारी के रूप में मंदिर की पूजा–अर्चना का कार्य करने के साथ ही ठाकुर जी महाराज की जमीन पर काश्त करना सरपंच द्वारा अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित किया है जिससे प्रथम दृष्टया विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होना पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट होता है। इसी प्रकार प्रार्थी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत फोटो प्रति प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत दीगोद, पंचायत समिति सांगोद कोटा दिनांक 29.10.2017 के अनुसार अप्रार्थी रामदयाल पुत्र श्री बृजमोहन ने ग्राम रकसपुरिया जिला कोटा के ठाकुर जी के मंदिर की सेवा पूजा लगभग 15 वर्ष तक की थी। पूजा के ऐवज में ग्रामवासी इनको अनाज, रूपये–पैसे देते रहते थे लेकिन इनके हाथ से गोली काण्ड से मर्डर हो जाने के कारण श्री रामदयाल को ग्राम रकसपुरिया जिला कोटा छोडकर जाना पड़ा। इससे भी प्रथम दृष्टया यही स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी लम्बे समय तक ग्राम सोकन्दा, तहसील मांगरोल, जिला बारां से बाहर निवासरत रहा है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी अपीलांट का यह कथन कि ग्राम सोकंदा की विवादित आराजी पर उसका कब्जा काश्त है और उसके द्वारा निरन्तर मंदिर ठाकुर जी महाराज की पूजा अर्चना का कार्य किया जाता रहा है, उचित एवं विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता। उपरोक्त विवेचन और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर हम प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दुओं को प्रार्थी के पक्ष में पाते हैं और अपील के इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में पारित अस्थायी निषेधाज्ञा के निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित एवं विधि सम्मत नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/02/2025

(दीप्ति समचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा